

कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ-ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 8761 / छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2025

रायपुर, दिनांक 08/11/25

/// प्रवेश वर्ष -2025 नीट यू.जी. (MBBS & BDS) पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु रेजिगनेशन/सीट सरेंडर के संबंध में आवश्यक सूचना ///

प्रवेश वर्ष 2025 चिकित्सा स्नातक (एमबीबीएस/बीडीएस) पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, कि छत्तीसगढ़ राज्य नीट यू.जी. 2025 काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए रेजिगनेशन/सीट सरेंडर करने हेतु तिथि वृद्धि की गई है। अब अभ्यर्थी अपना रेजिगनेशन/सीट सरेंडर दिनांक 10.11.2025 (सोमवार) एवं दिनांक 11.11.2025 (मंगलवार) तक कर सकेंगे।

रेजिगनेशन/सीट सरेंडर करने वाले अभ्यर्थियों पर सीट परित्याग के लिए बंध पत्र अर्थदंड/शुल्क कटौती लागू नहीं होगी। किन्तु, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि राजसात (Forfeit) कर ली जाएगी। साथ ही, ऐसे अभ्यर्थियों से प्रवेशित संस्था के शिक्षण शुल्क का 10 प्रतिशत भी देय होगा।

सं.क.	रेजिगनेशन/सीट सरेंडर हेतु संस्था	टिप्पणी
01	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी – संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में।	अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित तिथि पर संबंधित संस्था में उपस्थित होकर रेजिगनेशन / सीट सरेंडर करें।
02	निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी – काउंसिलिंग कक्ष, कक्ष क्रमांक 503, पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में।	
03	शासकीय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेशित अभ्यर्थी – शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में।	

यह सुविधा केवल उपरोक्त तिथियों में ही उपलब्ध रहेगी।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Rubia
08/11/25

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा